कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची द्वारा एल.पी.ए संख्या 203/2022 एवं समरूप वाद मे दिनांक 15.09.2023 को पारित न्यायादेश एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड के कार्यालय पत्रांक 771 दिनांक 13.06.2024 एवं पत्रांक 1001 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यालय द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में वर्ष 2015 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03 एवं 04 के द्वारा जिले में आवेदकों के द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्रों में से उक्त एल.पी.ए संख्या 203/2022 एवं समरूप वाद में शामिल प्रतिभागियों का काउन्सलिंग दिनांक 01.08.2024 एवं 25.08.2024 किया गया था । मेधांक बनाने के कम में पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स में टंकण अशुद्धि पाई गई, जिसके आलोक में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन, कार्यालय ज्ञापांक 2166 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा संशोधित किया गया था । सूचना प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्ति का निराकरण करते हुए आवेदक के अनुसार विवरणी संलग्न किया गया है ।

उक्त के आलोक में विज्ञापन के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार काउन्सलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी दिनांक 08.09.2024 को **कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची, कमरा संख्या 113, समाहरणालय भवन**, **राँची** में अपने सभी प्रमाणपत्र एवं उसकी एक सेट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (दो पीस पासपोर्ट साईज) के साथ प्रातः 10 बजे से 02 बजे के बीच अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

06/09/24

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

ज्ञापांक 2235 राँची दिनांक 06/09/24

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ समर्पित । अनुरोध है कि सूची को जिले के आधिकारिक वेबसाईट www.ranchi.nic.in पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि :– एम.आई.एस प्रभारी, झारखड शिक्षा परियोजना, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि कार्यालय के वेवसाईट www.dseranchi.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

06/09/24

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

06/09/24